न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 45/2024 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2024/30)

श्याम सुन्दर पुत्र लेखराज जाति ब्राहमण निवासी चक 15 ए (बी) तहसील अनूपगढ जिला अनूपगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. दर्शना देवी बैवा अमीर चन्द जाति ब्राहमण निवासी चक 15 ए (बी) तहसील अनूपगढ जिला अनूपगढ।
2. सुमन
3. रजनी
4. शकुन्तला

पुत्रिया अमीर चन्द जाति ब्राहमण निवासी चक 15 ए (बी) तहसील अनूपगढ जिला अनूपगढ।

5. किशोर चन्द पुत्र अमीर चन्द जाति ब्राहमण निवासी चक 15 ए (बी) तहसील अनूपगढ जिला अनूपगढ।
6. राहुल पुत्र अमीर चन्द नाबालिग जरिये माता कुदरतीवली दर्शना देवी बैवा अमीर चन्द जाति ब्राहमण निवासी चक 15 ए (बी) तहसील अनूपगढ जिला अनूपगढ।
7. राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री करण सिह तंवर – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 6
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 08.07.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ प्रकरण संख्या 33/2007 के निर्णय दिनांक 27.08.2013 के विरूद्ध पेश हुई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट के पती/पिता अमीरचन्द ने तहसीलदार अनूपगढ में प्रार्थना पत्र पेश कर वसीयत दिनांक 30.10.96 के मुताबिक वसीयत इन्तकाल दर्ज करने का निवेदन किया। जिस पर तहसीलदार अनूपगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.08.2013 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर चक 4 के बी का मुरब्बा नं. 198/31 का किला नं. 1 ता 25 का 25 बीधा का इंतकाल वसीयत के आधार पर तस्दीक करने का आदेश दिया। निर्णय दिनांक 27.08.2013 के विरूद्ध अपीलान्ट श्याम सुन्दर ने यह अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2013 निरस्त फरमाने व विरासतन इन्तकाल दर्ज करने का अनूतोष चाहा है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया ।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि भूमि वाके चक 4 के. (बी) का मुरब्बा नं. 198/31 का 25 बीघा भूमि लेखराज का बतौर पंजाब विस्थापित परिवार के सदस्यो के आधार पर उपनिवेशन विभाग ने सन् 1984 मे आवटन किया गया था। लेखराज के द्वारा एक तथाकथित वसीयत पेश की गई और अमीरचन्द ने कहा कि इन्तकाल दर्ज किया जावे। उस समय सिविल न्यायालय का सन् 2007 में अपीलान्ट द्वारा वसीयत निरस्त हेतु एवं विरासतन् इन्तकाल हेतु दावा पेश कर रखा था एव स्थगन भी था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कार्यवाही दाखिल दफतर कर दी एवं निरस्त कर दी एवं इसके पश्चात् सन् 2013 मे दावे का निर्णय हुआ एवं ए.डी.जे. कोर्ट में अपीलान्ट द्वारा अपील पेश की गई जो जैरकार एवं स्थगन भी जैरकार है। इन समस्त तथ्यो की अनदेखी कर तहसीलदार ने जल्दबाजी मे सिविल कोर्ट मे मामला विचाराधीन होते हुए मृतक व्यक्ति के नाम से इन्तकाल दर्ज कर दिया। अमीरचन्द का देहान्त दिनांक 25.07.2012 को हो चुका था एवं सिविल न्यायालय में वारिसान रिकार्ड पर आ चुके थे फिर भी मृतक के नाम से शून्य आदेश पारित कर दिया। प्रथम वसीयत शून्य है क्योकि परिवार के आधार पर पंजाब विस्थापित के तौर पर भूमि का आवंटन हुआ था। इस सम्पत्ति की वसीयत नही की जा सकती थी। वारिसान का सभी का हक इस भूमि मे था व है। इस कारण वसीयत के आधार पर दर्ज इन्तकाल निरस्त योग्य है। सिविल न्यायालय की कार्यवाही की जानकारी होते हुए जल्दबाजी मे मृतक के खिलाफ इन्तकाल दर्ज किया गया है, आर्डर नल एण्ड वॉयड है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमावे। विरासतन् इन्तकाल दर्ज करने का आदेश फरमावे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 1992 पृष्ठ 634, RRD 1996 पृष्ठ 406, RRD 2002 पृष्ठ 714, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 6 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि यह भूमि माता के नाम दिनांक 17.10.84 आवटन हुई थी, तथा उसका खातेदारी सनद दिनांक 24.10.96 को हुआ था। माता ने उक्त भूमि की एक वसीयत दिनांक 30.10.1996 को एक बेटे अमीचन्द के नाम कर दी। सभी पुत्रो व पुत्रियो की सहमति से वह वसीयत की थी। अमीचन्द ने तहसीलदार अनूपगढ में प्रार्थना पत्र पेश कर वसीयत दिनांक 30.10.96 के मुताबिक वसीयत इन्तकाल दर्ज करने हेतु पेश किया। उसके एक भाई श्याम सुन्दर ने वसीयत निरस्ती हेतु एक दावा सिविल कोर्ट में पेश कर रखा था। सिविल कोर्ट में दावा विचाराधीन था। दिनांक 05.03.2013 को सिविल कोर्ट ने निर्णय पारित कर दिया ओर उस दावे में वसीयत को सही माना है। अगर पक्षकार की मृत्यु के बाद कोई आदेश उसके पक्ष मे पारित होता है, तो वो सही होता है उसके खिलाफ होता है तो नल एण्ड वॉयड होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत को सही मानते हुए निर्णय पारित किया। सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपीलान्ट अपील पेश की जो विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सही है अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में CIVIL COURT CASES 2015 (4) पृष्ठ 559, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन / विश्लेषण किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलान्ट ने तहसीलदार अनूपगढ द्वारा पारित नामान्तरकरण संबधी आदेश दिनांक 27.08.2013 को निरस्त किए जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है। तहसीलदार द्वारा पंजीकृत वसीयत दिनांक 30.10.1996 के आधार पर चक 4 के (बी) का मुरब्बा नं. 198/31 किला नं. 1 ता 25 कुल रकबा 25 बीधा का इंतकाल अमीचन्द पुत्र लेखराम के पक्ष मे माफिक वसीयत दायर करने का निर्णय पारित किया। सिविल न्यायाधीश (क.ख.) अनूपगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.03.2013 में श्यामसुन्दर द्वारा वसीयत दिनांक 30.10.1996 को प्रभावहीन व शून्य घोषित किए जाने संबधी वाद को खारिज किया गया व

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

वसीयत को सही ठहराया गया। श्रीमती प्रकाशवन्ती बेवा लेखराम को चक 4 के. बी. मुरब्बा नं. 198/31 में भूमि आवंटित की गई थी, जो स्वअर्जित भूमि की श्रेणी मे थी जिसकी रजिस्टर्ड वसीयत प्रकाशवन्ती द्वारा अमीचन्द पुत्र लेखराम के पक्ष मे दिनांक 30.10.1996 को निष्पादित की गई। उक्त तथ्यो व विवेचन के मध्यनजर उक्त पंजीबद्व वसीयत माफिक नामान्तरकरण दायर किए जाने संबधी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.08.2013 में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है।

लिहाजा अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.08.2013 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर